न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर
पिठासीन अधिकारी श्री सुरेश कुमार प्रथम (आर०ए०एस०)

राजस्व वाद संख्या– 120/2018

1– श्याम उर्फ श्यामलाल पुत्र जगुराम उर्फ जगदीश
2– कैलाश उर्फ किशौर पुत्र जगुराम उर्फ जगदीश जातियान मेघवाल निवासी दुगस्ताऊ तहसील जायल जिला नागौर।

......................वादीगण

बनाम

1– पदमाराम पुत्र चोखाराम
2– लिछमणराम पुत्र चोखाराम
3– चुकी पत्नि चोखाराम
4– इन्द्रा पुत्री चोखाराम
5– रामकंवरी पुत्री चोखाराम
6– ओमप्रकाश पुत्र जगुराम उर्फ जगदीश
7– शारदा पुत्री जगुराम उर्फ जगदीश
8– मुलाराम पुत्र गेनाराम
9– राजु पुत्र गेनाराम
10– दिपाराम पुत्र गेनाराम
11– घमण्डाराम पुत्र गेनाराम
12– पुखराज पुत्र गेनाराम जातियान मेघवाल निवासी बरनेल तहसील जायल जिला नागौर।
13– मोहनराम पुत्र देवकरण
14– पपूराम पुत्र देवकरण जातियान मेघवाल निवासी डेहरोली
15– सरकार जरिये तहसीलदार जायल।
16– मैनेजर एस.बी.आई. शाखा मांगलोद।

.... प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्तागणः–
1– श्री गोविन्दराम ढाका वादीगण की ओर से।
2– श्री रामप्रकाश वैदा प्रतिवादी सं. 01 से 14 की ओर से।

–: निर्णय :–

दिनांक :28.08.19

वादी वादीगण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है वादीगण व प्रतिवादी के बडेर की पुश्तैनी भूमि मौजा दुगस्ताऊ के खेत खसरा नम्बर 924 रकबा 09 बीघा 08 बिस्वा, खेत खसरा नं. 1006 रकबा 5.18 बीघा, खेत खसरा नं. 1032 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा, खेत खसरा नं. 1172 रकबा 06 बीघा 11 बिस्वा, खेत खसरा नं. 686 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा, खेत खसरा नं. 740 रकबा 14 बीघा 08 बिस्वा, खेत खसरा नं. 787 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा एवं खेत खसरा नं. 792 रकबा 17 बीघा 05 बिस्वा रहती चली आई है। बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार है :–

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner

1. यह है कि वादी सं. 01 श्यामा उर्फ श्यामलाल के हकबंट, कब्जाकाश्त व खातेदारी मे वाके मौजा दुगस्ताऊ के खेत खसरा नं. 686 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा पूरा रखा गया है व खेत खसरा नं. 740 रकबा 14 बीघा 08 बिस्वा मे से 02 बीघा पूर्वी हिस्सा नजरी नक्शानुसार रखा गया है एवं प्रतिवादी सं. 06 ओमप्रकाश के हकबंट, कब्जाकाश्त व खातेदारी मे वाके मौजा दुगस्ताऊ के खेत खसरा नं. 740 रकबा 14 बीघा 08 बिस्वा में से 12 बीघा 08 बिस्वा नजरी नक्शानुसार रखा गया है।
2. वादी सं. 02 कैलाश उर्फ किशोर के हकबंट, कब्जाकाश्त व खातेदारी मे वाके मौजा दुगस्ताउ के खेत खसरा नं. 1006 रकबा 05 बीघा 18 बिस्वा पूरा खेत व खेत खसरा नं. 787 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा पूरा खेत व खेत खसरा नं. 1172 रकबा 06 बीघा 11 बिस्वा पूरा खेत रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 01 पदमाराम के हकबंट, कब्जाकाश्त व खातेदारी में वाके मौजा दुगस्ताउ मे खेत खसरा नम्बर 924 रकबा 09 बीघा 08 बिस्वा पूरा खेत व खेत खसरा नम्बर 792 रकबा 17 बीघा 05 बिस्वा में से 08 बीघा 15 बिस्वा दक्षिणी भाग नजरी नक्शानुसार रखा गया है।
4. प्रतिवादी स. 02 लिछमणराम के हकबंट, कब्जाकाश्त व खातेदारी में वाके मौजा दुगस्ताउ के खेत खसरा नं. 1032 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा मे से 11 बीघा पश्चिमी भाग नजरी नक्शानुसार व खेत खसरा नं. 792 रकबा 17 बीघा 05 बिस्वा में से 8 बीघा 10 बिस्वा उत्तरी भाग नजरी नक्शानुसार रखा गया है।
5. प्रतिवादी सं. 03 चुकी देवी के हकबट, कब्जाकाश्त व खातेदारी में वाके मौजा दुगस्ताउ के खेत खसरा नं. 1032 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा में से 02 बीघा 13 बिस्वा पूर्वी भाग नजरी नक्शानुसार रखा गया है।

अतः दावा पेश कर इस्तदुआ वादीगण है कि वाद के पैरा संख्या 02 के उप पैरा क, ख, ग, घ व ड के अनुसार डिक्री सादिर फरमाई जावे।

वाद वादीगण का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी सं. 01 से 14 की ओर से वकील श्री रामप्रकाश बैंदा ने वकालतनामा मय ईकबाली जबाब पेश किया। वकील वादी व वकील प्रतिवादी सं. 01 से 14 की ओर से इनकी पहचान देकर इन की ओर से ईकबाली जबाब पेश किया।

वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 01 से 14 के बीच सहमति होने के कारण वाद में विवाधक बिन्दु तय नहीं किये गये। प्रकरण में विद्वान अधिवक्ताओं वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण सं. 01 से 14 की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र मे अंकित तथ्यों के अनुसार खातेदारी घोषित की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार जायल को तहरीर जारी की जाकर वाद को निर्णित करते हुए वाद को डिक्री किये जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। सभी पक्षकारों में राजीनामा होने के कारण राजीनामें के अनुसार वादीगण का वाद निम्न प्रकार से स्वीकार कर डिक्री किया जाता है :-

1. यह है कि वादी सं. 01 श्यामा उर्फ श्यामलाल के हकबंट, कब्जाकाश्त व खातेदारी में वाके मौजा दुगस्ताऊ के खेत खसरा नं. 686 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा पूरा रखा गया है व खेत खसरा नं. 740 रकबा 14 बीघा 08 बिस्वा में से 02 बीघा पूर्वी हिस्सा नजरी

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner

नक्शानुसार रखा गया है एवं प्रतिवादी सं. 06 ओमप्रकाश के हकबंट, कब्जाकाश्त व खातेदारी में वाके मौजा दुगस्ताऊ के खेत खसरा नं. 740 रकबा 14 बीघा 08 बिस्वा में से 12 बीघा 08 बिस्वा नजरी नक्शानुसार रखा गया है।

2. वादी सं. 02 कैलाश उर्फ किशौर के हकबंट, कब्जाकाश्त व खातेदारी में वाके मौजा दुगस्ताउ के खेत खसरा नं. 1006 रकबा 05 बीघा 18 बिस्वा पूरा खेत व खेत खसरा नं. 787 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा पूरा खेत व खेत खसरा नं. 1172 रकबा 06 बीघा 11 बिस्वा पूरा खेत रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 01 पदमाराम के हकबंट, कब्जाकाश्त व खातेदारी में वाके मौजा दुगस्ताउ मे खेत खसरा नम्बर 924 रकबा 09 बीघा 08 बिस्वा पूरा खेत व खेत खसरा नम्बर 792 रकबा 17 बीघा 05 बिस्वा में से 08 बीघा 15 बिस्वा दक्षिणी भाग नजरी नक्शानुसार रखा गया है।
4. प्रतिवादी सं. 02 लिछमणराम के हकबंट, कब्जाकाश्त व खातेदारी में वाके मौजा दुगस्ताउ के खेत खसरा नं. 1032 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा में से 11 बीघा पश्चिमी भाग नजरी नक्शानुसार व खेत खसरा नं. 792 रकबा 17 बीघा 05 बिस्वा में से 8 बीघा 10 बिस्वा उत्तरी भाग नजरी नक्शानुसार रखा गया है।
5. प्रतिवादी सं. 03 चुकी देवी के हकबंट, कब्जाकाश्त व खातेदारी मे वाके मौजा दुगस्ताउ के खेत खसरा नं. 1032 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा में से 02 बीघा 13 बिस्वा पूर्वी भाग नजरी नक्शानुसार रखा गया है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादीगण का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। इसी माफिक डिक्री पर्चा भरा जाकर तहसीलदार जायल को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

(सुरेश कुमार प्रथम)
उपखण्ड अधिकारी जायल)
जायल, जिला नागौर

निर्णय आज दिनांक 28.08.19 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार प्रथम)
उपखण्ड अधिकारी जायल)
जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner